राजस्थान सरकार
पंचायती राज विभाग

क्रमांकः–एफ.4(11)पी0आर0डी0/लॉ/रूल–एमेण्ड/07/2078 जयपुर,दिनांकः– 18.6.07

अधिसूचना

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम,1994 (1994 का अधिनियम सं. 13) की धारा 102 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस निमित्त समर्थ बनाने वाली समस्त अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 को और संशोधित करने के लिए इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :–

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ .– (1) इन नियमों का नाम राजस्थान पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) नियम, 2007 है ।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. नियम 158 का संशोधन .– राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 158 में, –

(i) विद्यमान उप–नियम (1) के पश्चात् निम्नलिखित नया उप–नियम (1 क) अन्तःस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :–

" (1 क) पंचायत, सरहदी पंचायत समिति क्षेत्रों में भूतपूर्व सैनिकों को ग्रामीण आबादी में 150 वर्गगज तक आबादी भूमि रियायती दर पर आवंटित कर सकेगी । "

(ii) विद्यमान उप–नियम (2) के पश्चात् निम्नलिखित नया उप–नियम (2 क) अन्तःस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :–

" (2 क) पंचायत, घुमक्कड भेड़ पालकों को 300 वर्गगज तक आबादी भूमि निःशुल्क आवंटित कर सकेगी । "

(iii) विद्यमान उप–नियम (3) के पश्चात् निम्नलिखित नया उप–नियम (3 क) अन्तःस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :–

" (3 क) इस नियम के अधीन आवंटित तीस प्रतिशत भूमि विधवाओं और तलाकशुदा महिलाओं को आवंटित की जायेगी । "

राज्यपाल के आदेश से,

(जेठमल व्यास)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि :–

1– निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, जयपुर को राजस्थान राजपत्र (असाधारण) के विशेषांक भाग 4(सी) (जी.एस.आई.आर.) के उपखण्ड–1 में शीघ्र प्रकाशनार्थ प्रेषित है ।
2– निजी सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर ।
3– विशिष्ट सहायक, मंत्री, पंचायती राज, राजस्थान, जयपुर ।
4– निजी सचिव, राज्यमंत्री, पंचायती राज, राजस्थान, जयपुर ।
5– निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, जयपुर ।
6– निजी सहायक, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज, जयपुर ।
7– संभागीय आयुक्त, समस्त ।
8– जिला कलक्टर, समस्त ।
9– मुख्य कार्यकारी अधिकारी/अति0 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त ।
10– विकास अधिकारी, पंचायत समिति, समस्त ।

शासन उप सचिव